

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक— ३७३/१४-१०-४, लखनऊ, दिनांक ३० दिसम्बर, २०२४

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- साउथ ईस्ट यू०पी० पावर ट्रान्समिशन लि० द्वारा ७६५ के०वी० सिंगल सर्किट
मैनपुरी-उन्नाव पारिषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित १.५३६४ हे० संरक्षित वन
भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व २३८८ वृक्षों के पातन कन्नौज में प्रभावित ०.३२ हे० संरक्षित
वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व ८ वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित ०.८१५५ हे० संरक्षित
एवं ३.५५८३ हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं ११३ वृक्षों के पातन तथा
उन्नाव में प्रभावित ०.६८१३ हे० संरक्षित एवं ८.७००३ हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी
प्रयोग व १५०२ वृक्षों के पातन अर्थात् कुल १५.६११८ हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग
एवं बाधक ४०११ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव
संख्या—FP/UP/Trans/21539/2016

संदर्भ:- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव की पत्र संख्या—१७४७/१४-१,
दिनांक १९.१२.२०२४।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, उन्नाव के
पत्रांक—१७४७/१४-१, दिनांक १९.१२.२०२४ द्वारा विषयक प्रस्ताव ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त
प्रस्ताव आपकी सेवा में ऑनलाइन अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीया,

(डा० रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/

मुख्य वन संरक्षक,

लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक— / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, उन्नाव को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/

मुख्य वन संरक्षक,

लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ।